न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

साहबराम बनाम सुलतान आदि

प्रकरण का प्रकार 75 एलआरएक्ट क्रमांक 2011/00184 (74/2011)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2019	पत्रावली प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 10 'ए' सिविल प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुलतानराम का दिनांक 20.11.2016 को देहान्त हो चुका है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के फौत होने की सूचना न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2017 को दे दी गई थी। अपीलाण्ट ने 90 दिवस की अवधि के बाद एवं आज तक अबटमेंट ऐटएसाईड का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र कायम मुकाम पेश नहीं किया है। अपील अबेट हो चुकी है जो दाखिल दफ्तर की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आबीजे (24) 2017 पेज 386 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में दो पक्षकार हैं। जिसमें से एक पक्षकार का ही देहान्त हुआ है इसलिए अपील अबेट नहीं की जा सकती। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वकील रेस्पोडेण्ट की ओर से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुलतानराम के दिनांक 20.11.2016 को फौत होने के संबंध में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 'ए' सीपीसी दिनांक 28.04.2017 को पेश किया। अपीलांट की और से उक्त सूचना के बावजूद अभी तक न तो वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना–पत्र पेश किया न ही अबेटमेंट ऐटअसाईड कराने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अपीलाधीन आदेश केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुलतानराम अकेले के पक्ष में किया गया आदेश है। अतः उसके वारिसान अपील में	

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक पक्षकार हैं, जिनके बिना अपील पूर्णतः अबेट हो चुकी है। अतः अबेटमेंट के आधार पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 13.06.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

रामस्वरूप अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official